प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बयालीस'

[23/3/2018]

परिशिष्ट 'अ'

प्रश्न सं. [क्र. 4467]

तारांकित प्रश्न क्रमांक 4467 श्री नीलांशु चर्तुवेदी - जानकारी का विवरण

(क) सतना जिले के जनपद पंचायत नागौद एवं उचहेरा तथा वर्तमान में रामनगर में पदस्थ सीईओ श्री ओ.पी.अस्थाना के विरूद्ध निम्न पांच जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुए :-

क्र.	जांच का विषय/विवरण	निराकरण
1	जनपद पंचायत उचहेरा ग्राम पंचायत पिथौराबाद में स्टेट क्वालिटी मानिटर द्वारा मनरेगा योजनातंर्गत 100 दिवस से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने संबंधी।	अंतिम निराकरण किया जा चुका है जिसमें कोई राशि गबन होना नहीं पाया गया है।
2	जनपद पंचायत नागौद के ग्राम पंचायत कचलोहा में जलद त्रिमुर्ति महाविदालय नागौद में खेल मैदान समतलीकरण।	अंतिम निराकरण किया जा चुका है जिसमें कोई राशि गबन होना नहीं पाया गया है।
3	जनपद पंचायत नागौद के ग्राम पंचायत अतरौरा में पीसीसी रोड संबंधी।	अंतिम निराकरण किया जा चुका है जिसमें कोई राशि गबन होना नहीं पाया गया है।
4	जनपद पंचायत नागौद के पास ग्राम पंचायत जसों में सचिवीय विवाद के कारण वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में।	माननीय अपर सत्र न्यायाधीश नागौद के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण क्र. 4 में थाना जसों में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जांच में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर (ग्राम पंचायत जसों) में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। उचहेरा में इस्तगासा प्रस्तुत है। प्रकरण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश नागौद के न्यायाधीश नागौद के न्यायालय में प्रकरण क्र. एस.टी. 83/66 विचाराधीन है।
5	जनपद पंचायत नागौद में वियरर चेक से राशि भुगतान के संबंध में।	जनपद पंचायत नागौद के प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट-ब

प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो और जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह उपनियम (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिये गये आदेश द्वारा परिवर्तित, विखण्डित या संशोधित न कर दिया जाये।

तीसरा भाग-नियुक्ति प्राधिकारी

7. प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियाँ- प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की राज्य सिविल सेवा के लिए समस्त नियुक्तियाँ राज्य शासन द्वारा की जाएंगी :

परन्तु राज्य शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों के, जिन्हें कि वह ऐसे आदेश में उल्लिखित करें, अधीन रहते हुए भी ऐसी नियुक्तियाँ करने की शक्ति किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

8. अन्य सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियाँ- तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी की राज्य सिविल सेवाओं के लिए समस्त नियुक्तियां, अनुसूची में इस सम्बन्ध में उल्लिखित किए गए प्राधिकारियों द्वारा की जायेंगी।

चौथा भाग-निलम्बन

9. निलम्बन- (1) नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा कोई प्राधिकारी, जिसके कि अधीनस्थ वह हो, या आनुशासिक प्राधिकारी या उस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी किसी शासकीय सेवक को-

(क) जहां उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो या अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो, या

(ख) जहां उसके विरुद्ध किसी भी दाण्डिक अपराध के सम्बन्ध में कोई मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन हो,

निलंबन कर सकेगा :

[1][परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलम्बित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में][2][सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात्] उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो :]

[3][परन्तु यह और भी कि] जहां निलम्बन का आदेश किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर श्रेणी का हो तो ऐसा प्राधिकारी तत्क्षण उन परिस्थितियों की, जिसमें कि आदेश दिया गया था, रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को करेगा।

(2) कोई शासकीय सेवक नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा-

(क) उसके निरुद्ध किये जाने के दिनांक से, यदि उसे या तो किसी दांडिक आरोप पर या अन्यथा, अड़तालीस घण्टे से अधिक की कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो;

(ख) उसे दोषसिद्ध ठहराए जाने के दिनांक से, यदि वह, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध

---

1. सा.प्र.वि. क्र. सी.-6-2-96-3-एक, दिनांक 17-4-1996 द्वारा अंत:स्थापित।
2. म.प्र. सा.प्रा.वि. क्र.सी. 6-1-2007-3-एक, दिनांक 26-2-2007 द्वारा अंत:स्थापित।
3. अधिसूचना क्र. सी/6-2-96-3-एक, दिनांक 17-4-1996 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned by CamScanner

ठहराए जाने की दशा में, अड़तालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो, और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत न कर दिया गया हो या सेवा से हटा न दिया गया हो, या अनिवार्यत: सेवानिवृत्त न कर दिया गया हो,

निलम्बित कर दिया गया समझा जायेगा।

व्याख्या– इस उपनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट की गई अड़तालीस घण्टे की कालावधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की विभिन्न कालावधियाँ, यदि कोई हों, संगणित की जायेंगी।

[1][(2-क) जहां किसी शासकीय सेवक को उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित किया जाय, वहां निलम्बन आदेश में ऐसा आदेश करने के कारण अन्तर्विष्ट होंगे और जहां ऐसे शासकीय सेवक के विरुद्ध नियम 14 के अधीन जांच करना प्रस्तावित हो, वहां नियम 14 के उपनियम (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आनुशासिक प्राधिकारी द्वारा ऐसे शासकीय सेवक को आरोप पदों की अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की और उन दस्तावेजों तथा साक्षियों की जिनके कि द्वारा प्रत्येक आरोप पद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, सूची की एक प्रतिलिपि निलम्बन आदेश के दिनांक से 45 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी या जारी करवाई जायेगी :

परन्तु जहाँ आनुशासिक प्राधिकारी [2][राज्य सरकार या उच्च न्यायालय] हो, वहां आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि ऊपर वर्णित की गई हैं, प्रतिलिपि ऐसे शासकीय सेवक को निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी, या करवाई जायेगी।

[1][(2-ख) जहां आनुशासिक प्राधिकारी आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि उपनियम (2-क) में निर्दिष्ट की गई हैं, प्रतिलिपि 45 दिन की कालावधि के भीतर शासकीय सेवक को जारी न करें, वहां आनुशासिक प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त होने के पूर्व राज्य शासन से निलम्बन की उक्त कालावधि को बढ़ाने के लिए लिखित में आदेश अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु निलम्बन की कालावधि में, निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि से परे किसी भी दशा में वृद्धि नहीं की जायेगी।]

(3) जहां निलम्बित शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित की गई शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर अपास्त कर दी जाये और मामला आगे जाँच या कार्यवाही के लिये या किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ वापस भेज दिया जाये, वहां उसको निलम्बित किये जाने का आदेश, पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश के दिनांक को तथा इससे प्रवृत्त बना रहा समझा जायेगा और आगामी आदेश होने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(4) जहां शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित की गई शास्ति विधि न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या द्वारा अपास्त कर दी जाये अथवा शून्य घोषित कर दी जाये या शून्य हो जाये और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर आनुशासिक प्राधिकारी उसके विरुद्ध उन्हीं अभिकथनों पर, जिन पर कि पदच्युति, हटाये जाने या

---

1. उप नियम (2-क) तथा (2-ख) सा.प्र.वि. क्र. एफ-6-5-81-3-एक, दिनांक 26-2-1982 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. सा.प्र.वि. क्र. सी. 6-3-98-3-एक, दिनांक 20 मई 98 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned by CamScanner